संख्या-43/2016/216 ई-1/तेरह-2016-499(6)/2012

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक:: 06 सितम्बर, 2016

विषय :- मुख्य प्राविधिक अधिकारी का पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-4519/पी0एस0/प्रत्या0/पदोन्नति/प्राविधिक/2015-16 दिनांक 08 फरवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल आबकारी विभाग में वेतन बैण्ड-3 के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15600 – 39100 एवं ग्रेड पे रू0 7600/- में मुख्य प्राविधिक अधिकारी का एक अस्थायी पद दिनांक 28.02.2017 तक के लिए, यदि इसके पूर्व उक्त पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिए जायें, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि पद रिक्त होने की तिथि से वर्तमान में उपलब्ध प्राविधिक अधिकारी का एक पद स्वत: समाप्त हो जायेगा।

2- उपर्युक्त पद के धारक को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश के अधीन वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3- उक्त नवसृजित पद पर नियुक्ति/पदोन्नति की कार्यवाही संगत नियमावली/कार्मिक विभाग के परामर्शानुसार की जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-1 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2039-राज्य उत्पाद शुल्क-आयोजनेत्तर-001 निदेश तथा प्रशासन-03-अधीक्षण की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-9- 319/दस-2016 दिनांक 01 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या–43/2016/216 (1) ई-1/तेरह-2016-499(6)/2012 तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2.
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 (तीन प्रतियों में)
(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2.
(5) आबकारी अनुभाग-2.
(6) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।